

## अनुसूचित जाति उप-आयोजना/जनजाति उप-आयोजना

विवरण 21क

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
<b>जनजातीय उप-आयोजना स्कीमें</b>				
<b>मांग संख्या 1</b>				
<b>कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय</b>				
1. कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन	0.93	1.60	1.20	1.00
2. जूट प्रौद्योगिकी मिशन	0.86	1.50	1.23	1.00
3. इसोपोम	45.36	25.00	25.30	25.00
4. गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण	18.46	20.00	14.75	20.00
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	105.57	170.00	198.15	150.00
6. केंद्रीय संस्थाओं को विस्तार सहायता	0.76	1.25	1.00	1.50
7. कृषि विस्तार को जन प्रचार सहायता	12.00	30.00	30.00	30.00
8. कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना	1.25	1.00	1.00	1.50
9. राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता	24.92	50.00	44.94	40.00
10. निवेश पूंजी सब्सिडी योजना सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	12.00	10.00	5.00	5.00
11. नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)	3.50	2.00	2.00	3.50
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालय से सटे राज्यों के लिए बागवानी मिशन	70.17	100.00	105.14	200.00
13. राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन	10.58	10.00	14.00	27.00
14. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	142.36	150.00	101.59	165.00
15. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	75.00	160.00	100.00	150.00
16. कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढीकरण/संवर्धन	0.89	2.00	0.00	0.00
17. राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स आयोजना-कृषि	0.00	10.00	0.00	0.00
18. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	2.94	5.00	15.00	50.00
19. मौसम आधारित फसल बीमा	37.12	40.00	40.00	60.00
20. कृषि का बृहत प्रबंधन	75.00	90.00	50.00	0.00
21. प्रशिक्षण एवं परीक्षण प्रदर्शन के जरिए कृषि योजना का उन्नयन व सुदृढीकरण	0.00	1.00	1.00	1.00
22. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी व प्रबन्धन	0.00	1.00	1.00	1.00
23. नारियल बागीचों के पुनर्पौधीकरण तथा पुनर्नवीकरण के लिए अनुदान	0.00	1.00	5.00	0.00
24. तिलहन और आयल पाम संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी)	0.00	0.08	0.00	0.00
25. कृषि विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन	0.00	0.08	0.00	0.00
26. राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	0.00	0.08	0.00	0.00
27. ग्रामीण गोदामों का निर्माण	1.00	0.00	0.00	0.00
28. बाजार विकास, अवसंरचना का ग्रेडीकरण और बाजार का मानकीकरण	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>642.67</b>	<b>882.59</b>	<b>757.30</b>	<b>932.50</b>
<b>मांग सं. 2</b>				
<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग</b>				
1. फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें	12.05	10.00	8.00	10.00
2. बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें	0.00	4.00	3.00	4.00
3. कृषि विस्तार संस्थान अनुसंधान और शिक्षा	0.00	28.00	15.00	28.00
4. कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें	0.00	25.00	25.00	25.00
5. राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजनाएं/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	29.70	10.00	15.00	17.00
6. अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें	21.75	27.00	12.00	27.00
7. पशु विज्ञान संस्थान अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें	10.25	10.00	7.00	10.00
8. मात्स्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें	0.00	2.00	1.40	2.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>73.75</b>	<b>116.00</b>	<b>86.40</b>	<b>123.00</b>
<b>मांग सं. 10</b>				
<b>कोयला मंत्रालय</b>				
1. क्षेत्रीय अन्वेषण	6.23	6.00	6.00	4.10
2. विस्तृत उत्खनन	9.95	12.30	12.30	14.40
3. कोयला खानों में परिरक्षण और सुरक्षा	0.00	12.70	12.71	13.10
<b>उप-जोड़</b>	<b>16.18</b>	<b>31.00</b>	<b>31.01</b>	<b>31.60</b>

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
<b>मांग सं. 14</b>				
<b>दूरसंचार विभाग</b>				
1. डब्ल्यूएमओ	0.00	0.20	0.00	0.20
2. सी-डॉट	0.00	0.90	1.16	1.10
3. यूएसओएफ	0.00	10.90	4.83	13.20
<b>उप-जोड़</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>5.99</b>	<b>14.50</b>
<b>मांग संख्या 15</b>				
<b>इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
1. ई-गवर्नेंस	54.45	92.42	48.92	84.64
2. आम जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (महि. अ.जा./अ.ज.जा)	0.96	6.37	2.93	0.00
3. जन शक्ति विकास	0.00	10.85	10.85	25.00
4. एनआईसी	60.40	67.86	67.86	67.86
5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	22.50	22.50	7.50	22.50
6. एनआईईईएलआईटी (पूर्ववर्ती डीओईएसीसी)	0.00	1.00	0.40	1.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>138.31</b>	<b>201.00</b>	<b>138.46</b>	<b>201.00</b>
<b>मांग संख्या 17</b>				
<b>खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग</b>				
1. ग्राम अन्न बैंक स्कीम	1.96	1.12	0.50	0.28
2. पीडीएस प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण	0.00	2.94	2.94	6.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>1.96</b>	<b>4.06</b>	<b>3.44</b>	<b>6.28</b>
<b>मांग संख्या 19</b>				
<b>संस्कृति मंत्रालय</b>				
1. क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र	1.90	1.00	1.00	2.50
2. विशिष्ट अभिनय कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिकों और व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता	0.00	1.00	1.00	0.00
3. सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.00	0.00	2.00
4. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहायता हेतु वित्तीय सहायता	0.40	0.50	0.50	2.30
5. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षणात्मक विकास हेतु वित्तीय सहायता	0.00	0.10	0.10	0.00
6. मंच, साहित्य और दृश्य कला के क्षेत्र में कलाकारों को छात्रवृत्ति	0.00	0.50	0.50	0.75
7. साहित्य, कला और जीवन के अन्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	0.97	0.50	0.50	1.50
8. एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	0.00	0.20	0.20	0.20
9. क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालय का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण	0.00	0.50	0.50	0.50
10. भारतीय मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण	3.98	3.50	3.50	5.00
11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	6.00	4.00	4.00	6.00
12. राजाराम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन	0.50	1.00	1.00	2.00
13. नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबटोलोजी, सिक्किम	0.10	0.10	0.10	0.20
14. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा	0.00	0.40	0.40	1.25
15. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र	0.00	1.00	1.00	2.50
16. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज	0.00	0.48	0.48	0.50
17. नव नालंदा महाविहार	0.00	0.50	0.50	0.50
18. बुद्धिस्ट/तिब्बती संस्थानों के विकास हेतु सहायता	0.00	0.50	0.50	0.50
19. हिमालय संस्कृति अध्ययन संस्थान	0.00	1.50	1.50	0.50
<b>उप-जोड़</b>	<b>13.85</b>	<b>17.28</b>	<b>17.28</b>	<b>28.70</b>
<b>मांग संख्या 29</b>				
<b>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय</b>				
1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	849.98	1050.00	1050.00	1100.00
2. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	120.21	350.00	250.00	426.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>970.19</b>	<b>1400.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1526.00</b>
<b>मांग संख्या 31</b>				
<b>पर्यावरण और वन मंत्रालय</b>				
1. वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास	1.99	2.00	2.00	2.00
2. प्रोजेक्ट टाइगर	10.00	10.00	10.00	10.00
3. प्रोजेक्ट ऐलीफेन्ट	1.00	1.00	1.00	1.00
4. राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	2.00	2.00	1.31	2.00
5. ग्रीन इंडिया मिशन	0.00	1.00	0.20	1.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>14.99</b>	<b>16.00</b>	<b>14.51</b>	<b>16.00</b>

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
<b>मांग संख्या 47</b>				
<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</b>				
1. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	9.89	0.00	0.00	0.00
2. राष्ट्रीय मधुमेह, सीवीडी और हृदयघात की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम	9.91	24.60	14.35	39.78
3. राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम	77.47	61.24	55.63	0.00
4. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	28.18	31.05	25.50	0.00
5. संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम	32.17	76.03	71.03	0.00
6. राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	3.51	5.46	5.46	0.00
7. अवसंरचना अनुसंधान	395.36	527.64	536.30	537.13
8. औषधियों और गर्भनिरोधकों की आपूर्ति	0.00	30.78	10.71	0.00
9. प्रतिरक्षण	97.09	171.51	133.23	0.00
10. राज्य पीआईपी हेतु परिवर्तनीय पूल	1334.00	1155.21	883.41	0.00
11. एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	0.00	6.64	2.50	0.00
12. उन्नत द्वितीयक परीक्षण उपलब्ध कराने वाले जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	0.00	10.59	0.00	0.00
13. देश की सभी जन स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त जेनरिक दवाओं की व्यवस्था करना	0.00	10.59	0.00	0.00
14. राष्ट्रीय मानसिक रोग स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.00	10.70	8.23	16.35
15. क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता	0.00	8.20	3.66	7.25
16. वयोवृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल	0.00	12.30	8.20	10.90
17. राज्य सरकारी मेडिकल कालेजों का स्तरोन्नयन	0.00	28.70	20.50	0.00
18. नर्सिंग सेवाओं का स्तरोन्नयन/सुदृढीकरण	0.00	24.60	9.02	0.00
19. पैरा चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढीकरण/सृजन	0.00	16.40	4.10	0.00
20. गर्भ निरोधकों का मुफ्त वितरण	0.00	12.17	12.17	0.00
21. एनआरएचएम-आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	0.00	0.00	0.00	1391.68
22. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	0.00	0.00	0.00	0.11
23. संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	0.00	0.00	0.00	152.18
24. असंक्रामक रोगों, चोट एवं आघात के लिए फ्लेक्सिबल पूल	0.00	0.00	0.00	93.73
25. स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00	125.53
26. राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	10.90
27. राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	5.99
28. सूचना, शिक्षा एवं संचार	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>1996.58</b>	<b>2224.41</b>	<b>1804.00</b>	<b>2391.53</b>
<b>मांग सं. 48</b>				
<b>आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष विभाग)</b>				
1. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	0.20	0.30	0.30	0.80
2. केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	4.50	5.00	5.00	5.00
3. केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद्	3.00	3.00	3.00	2.00
4. केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद्	2.00	2.00	2.00	2.00
5. राष्ट्रीय जड़ी-बूटी बोर्ड	1.00	1.00	0.60	1.00
6. संस्थानों का विकास	0.00	2.50	0.50	3.00
7. आयुष अस्पतालों और औषधालयों का विकास तथा आयुष को मुख्य धारा में लाना	0.00	5.00	1.00	5.58
8. राष्ट्रीय जड़ी-बूटी मिशन	0.76	1.00	1.00	2.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>11.46</b>	<b>19.80</b>	<b>13.40</b>	<b>21.38</b>
<b>मांग संख्या 50</b>				
<b>एड्स नियंत्रण विभाग</b>				
1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	139.40	144.28	146.37
<b>उप-जोड़</b>	<b>0.00</b>	<b>139.40</b>	<b>144.28</b>	<b>146.37</b>
<b>मांग संख्या 58</b>				
<b>आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>				
1. शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी के तहत टीएसपी के लिए संघटक	1.20	0.24	0.12	0.60
2. स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	23.50	24.00	15.28	29.44
3. शहरी गरीबों के लिए रोजगार सृजन एकीकृत कम लागत स्वच्छता कार्यक्रम	1.70	0.48	1.92	5.00
4. खोमचे वालों की सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना	0.00	1.50	0.00	0.00
5. शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	1.50	0.00	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>26.40</b>	<b>27.72</b>	<b>17.32</b>	<b>35.04</b>

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
<b>मांग संख्या 59</b>				
<b>स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>				
1. सर्व शिक्षा अभियान	2246.72	2744.93	2539.64	2916.61
2. राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम)	1069.83	1277.26	1230.50	1417.23
3. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करना	35.79	53.50	31.25	75.00
4. महिला समाख्या	5.35	6.42	6.42	6.42
5. प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास हेतु गैर सरकारी संस्थाओं/एसआरसी को सहायता (एनजीओ/जेएसएस/एसआरसी)की विलयित योजनाएं	10.35	11.24	8.61	10.70
6. प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास योजना	50.35	63.34	44.79	61.20
7. राष्ट्रीय बाल भवन	0.50	1.50	0.58	0.86
8. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	1.03	0.96	0.68	0.96
9. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.21
10. माध्यमिक विद्यालयों के लिए बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना	43.17	25.00	25.00	10.70
11. नवोदय विद्यालय समिति	128.40	133.75	133.75	133.75
12. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	37.45	37.45	37.45	37.45
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण	2.68	1.61	1.25	1.61
14. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय)	0.38	0.00	0.00	0.01
15. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशा.	0.76	0.00	0.00	0.00
16. संयुक्त भारत-मंगोलियाई स्कूल (मंगोलिया)	0.00	0.00	0.00	0.00
17. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	273.73	334.27	342.81	426.18
18. उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 माडल विद्यालयों की स्थापना की स्कीम	109.11	115.56	80.25	107.00
19. माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अपंगों के लिए समावेशी शिक्षा	5.19	7.49	3.00	5.35
20. राष्ट्रीय साधन सह गुणवत्ता छात्रवृत्ति स्कीम	4.98	7.49	7.49	7.49
21. शिक्षा का व्यवसायीकरण	0.02	10.70	8.56	8.57
22. पहुंच एवं साम्यता	0.01	0.00	0.00	0.00
23. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन की स्कीम	21.51	48.15	32.31	48.15
24. विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	53.32	37.45	37.45	37.45
25. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	0.53	0.61	0.21	0.62
<b>उप-जोड़</b>	<b>4101.16</b>	<b>4918.68</b>	<b>4572.00</b>	<b>5313.52</b>
<b>मांग संख्या 60</b>				
<b>उच्चतर शिक्षा विभाग</b>				
1. यू.जी.सी.	434.00	504.58	462.10	439.03
2. इग्नू	7.50	7.88	7.87	9.38
3. आई.आई.टी. (ओएससी सहित)	90.30	90.00	99.90	180.00
4. आई. आई.टी., ग्वालियर	2.25	2.63	2.63	0.00
5. आई. आई.टी., इलाहाबाद	4.13	3.75	3.75	0.00
6. आई. आई.टी., जबलपुर	4.13	3.38	3.39	0.00
7. एन.आई.टी.	72.00	75.00	64.72	97.50
8. एन.आई.टी.आई.ई., मुंबई	1.28	2.78	0.45	0.45
9. एन.आई.एफ.एफ.टी., रांची	1.05	1.20	1.80	0.00
10. एन.आई.टी.टी.टी.आर.	1.64	2.44	2.23	2.63
11. एस.पी.ए., नई दिल्ली	0.75	0.75	0.47	6.38
12. आई.एस.एम., धनबाद	7.50	8.25	10.13	8.25
13. कम्युनिटी पालिटेकनिक्स	0.02	11.25	4.51	0.00
14. एस.एल.आई.ई.टी.	0.54	1.20	0.79	0.00
15. आई.आई.एम., शिलांग सहित (ओएससी सहित)	16.13	13.50	9.62	26.25
16. आई.आई.एस.सी, बंगलुरु	10.05	11.25	13.51	0.00
17. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आईसीटी)	28.21	63.75	16.65	30.00
18. आईआईएसईआर	43.50	48.75	51.01	0.00
19. नए आईआईटी	47.36	60.00	53.62	0.00
20. कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	12.15	18.75	11.86	26.25
21. प्रशिक्षु प्रशिक्षण सहित बीओएटीएस	2.67	3.56	2.86	3.94
22. आईआईआईटीडीएम, कांचीपुरम	5.63	6.00	6.00	0.00

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
23. सीआईटी कोकराझार	16.00	17.60	40.00	0.00
24. नए आईआईटी	0.00	1.88	0.60	2.25
25. नए एसपीए	1.88	2.63	5.65	0.00
26. नए एनआईटी चौधरी घनी खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सहित	6.00	21.05	22.55	0.00
27. नए आईआईएम	6.00	11.25	11.26	0.00
28. मौजूदा पोलिटेक्निक का उन्नयन/नए पोलिटेक्निक की स्थापना	56.94	63.00	31.51	0.00
29. आईसीएचआर	0.44	0.60	0.00	0.00
30. आईआईएस, शिमला	0.58	0.41	0.86	0.00
31. आईसीपीआर	0.37	0.45	0.39	0.00
32. पीएचआईएसपीसी	0.08	0.00	0.00	0.00
33. एनसीआरआई, हैदराबाद	0.00	0.45	0.13	0.00
34. शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी	5.70	8.00	8.00	0.00
35. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	4.43	4.50	6.71	0.00
36. एआईसीटीई	12.25	30.00	30.00	31.50
37. पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर	5.59	8.00	3.62	0.00
38. टेकिप	13.40	26.25	14.83	30.00
39. 200 राज्य इंजीनियरिंग संस्थानों का विस्तार और उन्नयन	0.00	0.30	0.00	0.00
40. आईआईएसटी की स्थापना	0.00	0.08	0.00	2.25
41. सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 50 केंद्रों की स्थापना	0.00	0.08	0.02	7.50
42. कामगार तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना		0.00		
43. पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास	4.20	7.50	5.26	0.00
44. आईसीएसएसआर	2.55	7.42	6.94	0.00
45. केंद्रीय हिंदी निदेशालय	0.00	0.30	0.00	0.00
46. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	0.15	0.20	0.20	0.00
47. महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	0.36	0.36	0.96	0.00
48. एनयूईपीए (जिसमें उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए भी निधि शामिल है)	0.01	0.80	0.71	1.28
49. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर	0.00	2.50	0.00	0.00
50. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) चैन्नई	0.00	0.96	0.00	0.00
51. नेशनल बुक ट्रस्ट	0.00	1.35	1.16	1.50
52. राष्ट्रीय अध्यापक एवं प्रशिक्षण मिशन	0.00	0.08	0.00	7.50
53. विस्तार समावेशन और उत्कृष्टता हेतु राज्यों को प्रोत्साहन	0.00	0.08	0.00	0.00
54. नई एनबीटी	0.00	0.08	0.00	0.00
55. अनुसंधान और नवोन्मेष	0.00	0.08	0.08	0.00
56. रोजगार परकता एवं कौशल	0.00	0.08	0.08	0.00
57. अशक्त व्यक्तियों के लिए पॉलिटेक्निक	0.00	0.38	0.14	0.00
58. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	9.75
59. भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.08
60. उच्चतर शिक्षा में अशक्तता समावेशन हेतु राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.08
61. सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.08
62. खेलकूद और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.08
63. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	0.00	0.00	0.00	41.50
64. गारंटी निधि हेतु ब्याज सब्सिडी और अंशदान	0.00	0.00	0.00	82.50
65. कॉपी राइट और आईपीआर का संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.45
66. भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	21.31
67. अभिशासन और प्रत्यायन प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.08
68. अकादमी नेतृत्व हेतु संस्थानों/एकादमी की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.08
69. सांख्यिकी और जनसूचना प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.08
70. वेब आधारित उच्च शिक्षा आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली	0.00	0.00	0.00	0.08
71. उच्च शिक्षा अनुसंधान अक्षांशीय अध्ययन और सर्वेक्षण केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.08
72. आईआईएस और आईआईएसईआर को सहायता	0.00	0.00	0.00	64.46
73. इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम के आईआईटी को सहायता	0.00	0.00	0.00	16.50
74. स्लीट, मेरीट, निफट रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थाओं को सहायता	0.00	0.00	0.00	5.10
75. बहु-विद्या अनुसंधान यूनिवर्सिटी और उत्कृष्टता केन्द्र एवं प्रणाली का सृजन	0.00	0.00	0.00	0.08
76. अन्तर संस्थागत केन्द्र की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.08
77. डिजाइन नवाचार हेतु राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	1.88

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
78. प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	1.88
79. प्रबंधन फार्मसी शिक्षा और होटल प्रबंधन हेतु गुणवत्ता सुधार	0.00	0.00	0.00	0.08
80. राज्यों में पोलीटेक्निक हेतु सहायता	0.00	0.00	0.00	52.50
81. सामुदायिक कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा हेतु सहायता	0.00	0.00	0.00	2.23
82. आईआईटी हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	3.75
83. न्यायाधिकरण प्रत्यायन और एनसीएचईआर की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.08
84. ऑरोविल्ले प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.90
<b>उप-जोड़</b>	<b>929.72</b>	<b>1159.35</b>	<b>1021.53</b>	<b>1219.59</b>
<b>मांग सं. 62</b>				
<b>श्रम और रोजगार मंत्रालय</b>				
1. वीआरसी	0.08	0.30	0.30	0.39
2. सीजीसी	0.13	2.00	2.00	2.50
3. मिशन मोड परियोजना	0.00	1.50	0.39	0.00
4. प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	0.72	3.12	3.06	5.90
5. एनआईएमआई	0.00	0.33	0.33	0.35
6. एफटीआई	0.04	0.71	0.65	0.00
7. एमआईटीआई	0.04	0.70	0.70	0.00
8. परियोजना का कार्यान्वयन	0.00	0.41	0.46	0.00
9. भवन निर्माण उपस्कर	0.17	0.91	0.93	0.00
10. राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में क्षेत्रीय श्रम संस्थान फरीदाबाद का विकास	0.04	0.00	0.00	0.00
11. सीएलसी (सी) तथा आरएलसी (सी)	0.84	0.00	0.00	0.00
12. सीएलसी (सी) प्रशिक्षण स्कंध	0.04	0.00	0.00	0.00
13. सीबीडब्ल्यूई	1.08	2.09	2.09	2.00
14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	0.82	0.00	0.00	0.00
15. एनएलआई	0.37	1.36	0.98	0.49
16. बाल श्रम	11.69	15.00	12.00	16.40
17. श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली	0.98	0.00	0.00	0.00
18. डीजीएमएस (मैमिड)	0.11	0.00	0.00	0.00
19. डीजीएमएस (सॉकफॉंड)	0.50	0.00	0.00	0.00
20. 100 आईटीआई का उन्नयन	0.00	0.01	0.00	0.00
21. बीएल का पुनर्वास	0.00	1.00	1.00	0.00
22. दक्षता विकास पहल	4.00	31.43	20.05	48.41
23. जम्मू एवं कश्मीर के 8000 युवाओं का प्रशिक्षण	0.00	0.08	0.00	0.00
24. कौशल विकास योजना	0.00	22.10	9.84	0.30
25. 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन	0.00	0.41	0.00	0.00
26. ईएपी संघटक	0.00	7.89	7.89	12.27
27. स्वास्थ्य बीमा आरडब्ल्यू	64.43	88.00	83.10	116.08
28. डीजीआईटी के भीतर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का विस्तार	0.00	0.37	0.42	0.98
29. वामपंथी अतिवाद प्रभावित 34 जिलों का दक्षता विकास	0.00	20.10	20.10	0.00
30. ई-शिक्षा तथा दुरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	0.00	0.08	0.08	0.02
31. राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता के विकास के लिए एनसीवीटी का पुनर्सृजन	0.00	0.04	0.04	0.37
32. ट्रेड परीक्षण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना	0.00	0.06	0.06	0.33
33. विदेश में प्रशिक्षण के साथ दक्षता विकास योजना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.00	0.08	0.08	0.16
34. एटीआई और आरवीटीआई की स्थापना	0.00	0.66	0.66	0.00
35. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में दक्षता विकास अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना	0.00	1.80	1.80	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>86.08</b>	<b>202.54</b>	<b>169.01</b>	<b>206.95</b>
<b>मांग संख्या 66</b>				
<b>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>				
1. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएसईजीपी)	76.43	107.02	107.02	125.80
2. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	1.39	1.64	1.35	1.64
3. खादी उद्योग के कारीगरों के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन हेतु योजना	0.00	1.23	0.01	1.23
4. नारियल जटा उद्योगों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन	0.00	1.30	0.00	1.30
5. परम्परागत उद्योगों के पुन सृजन हेतु निधि की योजना	0.00	4.53	0.40	4.54
6. खादी सुधार विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता)	0.00	4.10	0.00	4.10

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
7. मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना सुदृढ़ करने और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता	0.20	0.62	0.50	0.62
8. बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन और नीति सहित)	0.00	0.01	0.00	0.01
9. केवीआई क्षेत्र (डीआरएसके) में अवसंरचना और कौशल विकास	0.00	0.01	0.00	0.01
10. ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामोद्योग की कमजोर संस्थाओं का विकास (प्रोवाइड)	0.00	0.01	0.00	0.01
11. स्फूर्ति कॉयर	0.00	0.01	0.00	0.01
12. स्फूर्ति (इसमें शामिल 5 मौजूदा स्कीमों के साथ) (केवीआई)	0.00	0.01	0.00	0.01
13. खादी के लिए एमडीए के साथ खादी अनुदान	0.00	9.73	13.85	9.73
14. ग्रामोद्योग अनुदान	0.00	5.52	5.52	5.52
15. खादी और पोली वस्त्र हेतु ब्याज सहायता पात्रता प्रमाणपत्र	0.00	0.01	0.00	0.01
16. खादी दस्तकारों के लिए जनश्री बीमा योजना	0.00	0.01	0.01	0.01
17. विशेष तौर पर विरासतपूर्ण और हरित उत्पाद (स्पोक) के रूप में खादी सेवर्धन के लिए खादी/vi-एसएनटी एंड स्कीम	0.00	0.01	0.00	0.01
18. एक मुश्त तौर पर लिए गए पुराने ऋणों/ऋण लिखतों को बड़े खाते डालने की स्कीम	0.00	0.01	0.00	0.00
19. योजना (सामान्य), प्रशिक्षण विस्तार, गुणवत्ता सुधार, महिला कॉयर योजना और कल्याणकारी उपाय आदि	0.00	3.70	1.95	3.70
20. प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता	0.00	0.00	1.00	1.00
21. संवर्धनात्मक सेवाएं संस्था और कार्यक्रम	0.00	0.00	5.60	5.50
22. एमएसएमई कलस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई ग्रोथ पोल	0.00	0.00	28.17	33.00
23. ऋण सहायता कार्यक्रम	0.00	0.00	1.00	11.50
24. राष्ट्रीय नवाचार निधि	0.00	0.00	23.00	21.00
25. निवेश इक्विटी शेयर पूंजी	0.00	0.00	13.23	0.00
26. परफरमेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम	0.00	0.00	1.00	2.00
27. विपणन सहायता स्कीम	0.00	0.00	0.00	1.25
28. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.20
29. प्रशिक्षण संस्थाएं	0.00	0.00	7.50	10.50
<b>उप-जोड़</b>	<b>78.02</b>	<b>139.48</b>	<b>211.11</b>	<b>244.21</b>
<b>मांग सं. 67</b>				
<b>खान मंत्रालय</b>				
1. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण	0.00	7.76	7.76	7.76
2. भारतीय खान ब्यूरो	0.00	0.96	0.96	1.96
<b>उप-जोड़</b>	<b>0.00</b>	<b>8.72</b>	<b>8.72</b>	<b>9.72</b>
<b>मांग संख्या 71</b>				
<b>पंचायती राज मंत्रालय</b>				
1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	7.24	0.00	7.38	0.00
2. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	0.09	0.00	0.14	0.24
3. ग्रामीण व्यापार केन्द्र	0.02	0.24	0.00	0.00
4. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	0.00	16.79	4.10	37.31
5. राज्यों को संसाधनगत सहायता	0.00	0.41	0.65	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>7.35</b>	<b>17.44</b>	<b>12.27</b>	<b>37.55</b>
<b>मांग सं. 82</b>				
<b>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</b>				
1. नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	374.00	500.00	500.00	800.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>374.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>800.00</b>
<b>मांग संख्या 83</b>				
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>				
1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	536.26	723.74	549.55	700.06
2. ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना	2469.94	2736.63	2229.32	3751.97
<b>उप-जोड़</b>	<b>3006.20</b>	<b>3460.37</b>	<b>2778.87</b>	<b>4452.03</b>
<b>मांग संख्या 84</b>				
<b>भू-संसाधन विभाग</b>				
1. सिंचित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	230.82	305.00	290.35	538.70
2. राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	24.00	15.05	12.05	37.75
<b>उप-जोड़</b>	<b>254.82</b>	<b>320.05</b>	<b>302.40</b>	<b>576.45</b>

## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
<b>मांग सं. 85</b>				
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
1. अनुसंधान और विकास सहायता (एसईआरसी)	0.00	8.00	0.00	0.00
2. सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम	2.87	5.00	4.32	25.00
3. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	0.00	6.00	2.30	0.00
4. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	0.93	5.00	1.31	0.00
5. बांस उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी (मिशन मोड़ परियोजना)	5.00	0.00	0.00	0.00
6. सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा और क्षमता	0.00	0.00	0.00	2.25
7. राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली	0.00	0.00	0.00	5.25
8. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड	15.00	7.93	7.93	7.93
9. अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान में नवाचार	3.75	0.00	0.00	0.00
10. विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	0.00	1.00	0.00	0.00
11. एलायंस और आरएंडडी मिशन	0.00	17.00	5.00	17.00
12. स्वायत्त संस्थाएं और व्यावसायिक निकाय	0.00	12.00	1.00	12.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>27.55</b>	<b>61.93</b>	<b>21.86</b>	<b>69.43</b>
<b>मांग सं. 89</b>				
<b>सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय</b>				
1. दीनदयाल निशक्त पुनर्वास स्कीम	0.00	0.00	0.00	18.00
2. निशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	14.00
3. निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन	0.00	0.00	0.00	9.00
4. राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.50
5. पीडब्ल्यूडी हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	0.00	0.00	0.00	1.50
6. निशक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम	0.00	0.00	0.00	3.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>
<b>मांग संख्या 93</b>				
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं</b>				
<b>हथकरघा क्षेत्रक</b>				
1. विविधीकृत हथकरघा विकासस्कीम	0	0.20	0.20	0.00
2. मिलगेट मूल्य स्कीम	1.63	6.10	6.10	1.50
3. हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक कल्याण स्कीम	1.50	2.00	2.00	2.00
4. व्यापक हथकरघा विकास स्कीम	0	0.00	0.00	2.64
5. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम	0	0.00	0.00	0.50
6. साधारण हथकरघा तत्स्थाने उन्नयन स्कीम	0	0.00	0.00	0.50
7. एकीकृत प्रसंस्करण विद्युतकरघा विकास स्कीम	0	0.00	0.00	1.00
<b>हस्तशिल्प क्षेत्रक</b>				
8. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	0.54	0.50	0.50	0.13
9. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन	0.10	0.50	0.50	0.90
10. विपणन सहायता, सेवा एवं निर्यात संवर्धन	0.18	0.40	0.40	0.90
11. टीआरए सहित अनुसंधान एवं विकास	0.09	0.30	0.30	0.50
12. मानव संसाधन विकास स्कीम	0.10	0.30	0.30	0.50
<b>ऊन क्षेत्रक</b>				
13. एकीकृत ऊन सुधार और विकास	1.20	1.00	1.00	1.00
14. बड़े समूह	0.41	0.96	0.96	1.00
15. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	0.00	22.55	22.55	19.00
16. जूट प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	1.28	1.28	0.00
17. मानव संसाधन विकास	1.13	3.00	3.00	5.00
18. जूट सहित तकनीकी कपड़े	0.00	0.50	0.50	0.80
<b>ख. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (हथकरघा क्षेत्र)</b>				
19. एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम	3.74	4.00	4.00	0.00
20. पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्संरचना स्कीम	2.40	36.45	7.20	4.00
21. समूह वर्कशेड स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.10
22. विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु एकीकृत स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.10
23. एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम	0.00	0.00	0.00	4.50
<b>रेशम कीट पालन</b>				
24. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	4.80	3.96	3.96	9.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>17.82</b>	<b>84.00</b>	<b>54.75</b>	<b>55.57</b>



## जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2011-2012 वास्तविक	2012-2013 बजट	2012-2013 संशोधित	2013-2014 बजट
<b>मांग संख्या 94</b>				
<b>पर्यटन मंत्रालय</b>				
1. गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास उप-जोड़	28.00 <b>28.00</b>	30.25 <b>30.25</b>	23.75 <b>23.75</b>	32.05 <b>32.05</b>
<b>मांग संख्या 95</b>				
<b>जनजातीय मामले मंत्रालय</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें</b>				
1. कोचिंग और संबद्ध स्कीम व अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अ.ज.जा. के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	55.98	60.00	23.75	44.00
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	7.80	9.00	3.87	8.00
3. कम जनसंख्या वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढीकरण	31.24	40.00	14.61	40.00
4. जनजातीय उत्पादों/उत्पादनों का विपणन विकास	22.00	22.00	47.24	34.31
5. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगम को सहायता-अनुदान	20.00	20.00	13.00	20.00
6. विशेषकर संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास	231.30	244.00	174.50	240.00
7. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता	70.00	70.00	68.10	70.00
8. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	84.93	90.00	45.00	90.00
9. उत्कृष्टता के संस्थान/उच्च श्रेणी के संस्थान की स्कीम	6.97	13.00	10.11	13.00
10. राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें	0.78	1.00	1.00	1.00
11. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, बुक बैंक और उत्कृष्टता के उन्नयन की स्कीम	867.47	750.00	628.84	625.00
12. अनु.जनजाति की बालिकाओं/बालकों के लिए छात्रावासों की स्कीम	78.00	78.00	68.00	105.80
13. जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	75.00	75.00	61.00	75.00
14. अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातियों के त्यौहार और अन्य	10.23	15.00	10.41	17.50
15. अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	86.00	106.73	202.19
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.00	0.00	151.30	176.20
17. जनजातीय उप-आयोजना के अंतर्गत स्कीम	977.33	1200.00	852.54	1200.00
18. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत स्कीम उप-जोड़	1084.83 <b>3623.86</b>	1317.00 <b>4090.00</b>	820.00 <b>3100.00</b>	1317.00 <b>4279.00</b>
<b>मांग संख्या 96</b>				
<b>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>	<b>3.04</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>
<b>मांग संख्या 99</b>				
<b>दमन और दीव</b>	<b>1.46</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>मांग संख्या 104</b>				
<b>जल संसाधन मंत्रालय</b>				
1. सूचना, शिक्षा और संचार	0.27	0.00	0.00	0.00
2. भू-जल प्रबंधन और संचार	8.92	14.50	14.50	14.50
3. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण उप-जोड़	0.00 <b>9.19</b>	5.00 <b>19.50</b>	3.00 <b>17.50</b>	5.00 <b>19.50</b>
<b>मांग संख्या 105</b>				
<b>महिला और बाल विकास मंत्रालय</b>				
1. एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) उप-जोड़	931.77 <b>931.77</b>	1517.00 <b>1517.00</b>	1517.00 <b>1517.00</b>	1668.70 <b>1668.70</b>
<b>मांग संख्या 106</b>				
<b>युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय</b>				
1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	9.19	8.94	9.06	8.94
2. राष्ट्रीय सेवा स्कीम	4.54	6.82	6.64	6.50
3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	0.90	1.64	1.64	1.64
4. राष्ट्रीय युवा कोर	2.52	5.31	4.50	4.31
5. युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.08	1.89	1.89	1.89
6. भारतीय खेल प्राधिकरण	20.00	25.00	20.00	31.00
7. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2.00	3.00	2.00	3.00
8. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रोत्साहन हेतु सहायता	15.00	9.50	9.50	14.00
9. शहरी खेल अवसंरचना	1.00	3.50	2.00	4.00
10. पंचायत युवा केन्द्र और खेल अभियान उप-जोड़	12.00 <b>67.23</b>	20.00 <b>85.60</b>	16.00 <b>73.23</b>	15.00 <b>90.28</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>17453.61</b>	<b>21710.11</b>	<b>18721.33</b>	<b>24598.39</b>

टिप्पणी : स्कीमों के ब्यौरों और अन्य सूचना के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों की ब्योरेवार अनुदान मांगें, वार्षिक रिपोर्टें और परिणाम बजट देखें।